**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1998/2026

Hadmanram S/o Khiyaram, Aged About 31 Years, Hamir Nagar, Finch, Ps Luni, Dist. Jodhpur, Raj. (Lodged In Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Vijay Kumar Gaur |
| For Respondent(s)<br>For Complainant | : | Mr. Sonu Manawat, PP<br>Mr. Pradeep Choudhary |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**

**Order**

**26/02/2026**

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना लूणी, जिला जोधपुर सिटी पश्चिम** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 333/61(2) भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त 73 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। प्रकरण में अशोक के नाक, कान काटने का आरोप सहअभियुक्त सोहनलाल पर है, प्रार्थी/अभियुक्त पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का मौके पर घटना के समय साथ होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 27.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया

है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने षड्यंत्र के तहत अपने भतीजे सोहनलाल से परिवादी पीड़ित के नाक कान कटवाये हैं। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि इस प्रकरण में पीड़ित अशोक के नाक कान कटवाने का आरोप सोहनलाल पर है। प्रार्थी/अभियुक्त पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त 73 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जिससे अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हड़मानराम पुत्र खींयाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2026, पुलिस थाना लूणी, जिला जोधपुर सिटी पश्चिम** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु

**1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

**(ASHUTOSH KUMAR),J**

65-Nitin jagtiani/-